प्रश्न सं. [क्र. 2135]

विधानसभा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 2135 श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव।

परिशिष्ट 01

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को दी जाने वाली सुविधाऐं

(1) यात्रा भत्ता –

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टी.ए., डी.ए. तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान तथा आंगनवाड़ी सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान दिये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद मानसेवी होने से मेडीकल सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(2) अतिरिक्त प्रभार मानदेय राशि –

शहरी क्षेत्र में जहा परिस्थितिवश एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास दो आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की जिम्मेदारी दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार वाले आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन हेतु अतिरिक्त मानदेय राशि रूपये 200/–प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। (ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में लागू नहीं है)

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु पदोन्नति के अवसर –

शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को (आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से) पर्यवेक्षक के पद पर चयन हेतु अवसर दिया जा है। आंगनवाड़ी सहायिका को भी 10 वर्ष का कार्य अनुभव एवं कार्यकर्ता पद की योग्यता होने पर कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है।

(4) अवकाश सुविधा –

4.1). आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को वर्ष में 20 दिवस के अवकाश की पात्रता है, किन्तु एक बार में उन्हें 10 दिन से अधिक का अवकाश नहीं मिल सकता ।

(4.2). मातृत्व अवकाश – प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को जिन्होनें एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो उन्हे पूरे सेवा काल में दो बार मातृत्व अवकाश देय होगा । जिसकी अवधि **180 दिवस** होगी एवं गर्भावस्था के आठवें माह अथवा उसके उपरांत कभी भी 180 दिवस का मातृत्व अवकाश लिया जा सकेगा । उक्त अवकाश केवल दो जीवित जन्मों तक ही मान्य होगा।

इस अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की वैकल्पिक व्यवस्था अस्थाई रूप से की जा सकती है एवं इनका व्यय बाल विकास परियोजना के अर्न्तगत किया जा सकेगा।

(4.3). गर्भपात अवकाश – आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका को पूरे सेवाकाल में गर्भपात की अवधि में 45 दिनों का मानदेय सहित अवकाश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
सचिवालय, वल्लभ भवन भोपाल

की पात्रता होगी। किन्तु इसके लिये सम्बंधित को चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस अवधि में कार्य संचालन हेतु परियोजना अधिकारी द्वारा अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की व्यवस्था की जा सकेगी, जिसका व्यय आईसीडीएस से वहन होगा ।

(4.4). म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक 1345/612/2014/50–2, दिनांक 08–08–2014 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं समय निर्धारण तथा **13 दिवस का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अवकाश** नियत करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिला कलेक्टर्स सौपें गये है ।

(5) मानदेय/अतिरिक्त मानदेय –

(5.1). भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद मानसेवी रखा गया है । इनके मानदेय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने मद से अतिरिक्त मानदेय प्रदाय किया जा रहा है ।

क्र.	विवरण	भारत सरकार देय मानदेय दर	राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त मानदेय	कुल प्राप्त होने वाली राशि
1.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रूपये 3000/– प्रतिमाह	रूपये 7000/– प्रतिमाह	रूपये 10000/– प्रतिमाह
2.	आंगनवाड़ी सहायिका	रूपये 1500/– प्रतिमाह	रूपये 3500/– प्रतिमाह	रूपये 5000/– प्रतिमाह
3.	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रूपये 2250/– प्रतिमाह	रूपये 3500/– प्रतिमाह	रूपये 5750/– प्रतिमाह

(6) यूनिफार्म –

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिवर्ष यूनिफार्म के रूप में दो साडियॉ प्रदान की जाती है ।

(7) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना –

- इस योजना अन्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पात्रता रखती हैं। इसमें योजना के अंशदान की 50 प्रतिशत राशि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि का अंशदान संबधित हितग्राही के द्वारा वहन किया जाता है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अंशदान के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश, भोपाल
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल